न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
16/2025	9.5.2025	29.9.2025

1. जगदीश पुत्र भागचन्द, मीना निवासी नारायणपुर खौलाई तह0 तलावडा
2. बाबूलाल पुत्र भागचन्द, मीना निवासी नारायणपुर खौलाई तह0 तलावडा

––प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील तलावडा ––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः– श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 114/395 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 116 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 117 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 410/117 रकबा 0.25 है0 ग्राम खौलाई तहसील तलावडा में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण ने अपनी इस भूमि की सुरक्षा हेतु मिट्‌टी की डौल बनाई हुई है परन्तु बरसात के दिनो में मिट्‌टी की डौल नष्ट हो जाने के कारण आसपास के काश्तकारों से सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.4.2025 को अप्रार्थी से उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान्‌जी के न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 114/395 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 116 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 117 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 410/117 रकबा 0.25 है0 ग्राम खौलाई तहसील तलावडा के पत्थरगढी के आदेश पारित फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 28, 29 ग्राम खौलाई, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दि0 1.11.2019 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार तलावडा को तलब किया गया। तहसीलदार तलावडा बाबजूद स[illegible] [illegible]स्थित नहीं हुए हैं।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अभिभा[illegible] को सुना गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि [illegible] जिस पर प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

मिट्टी की डौल मेड की हुई है परन्तु बरसात के दिनो में डोल मेड बरसात से नष्ट हो जाती है जिसके कारण पडौसी काश्तकारों से सीमा विवाद हो जाता है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है जिसकी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 1.11.2019 की सत्यप्रतिलिपि प्रार्थीगण ने प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किए जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 28 ग्राम खौलाई के अनुसार भूमि ख0नं0 114/395 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 116 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 117 रकबा 1.13 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 29 ग्राम खौलाई के अनुसार भूमि ख0नं0 410/117 रकबा 0.25 है0 प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि का दिनांक 1.11.2019 को सीमाज्ञान भी करवाया है जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार होने के फलस्वरूप व उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम खौलाई की भूमि ख0नं0 114/395 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 116 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 117 रकबा 1.13 है0, ख0नं0 410/117 रकबा 0.25 है0 की प्रार्थीगण को पत्थरगढी करवावें एवं पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:07 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (...) गंगापुर सिटी (स0मा0)
सत्यमेव जयते